



Government of India  
Ministry of Textiles  
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

The office of the Development Commissioner (**Handicrafts**) invites applications from the eligible Master Craftsperson who have completed the age of 60 years on or before 31<sup>st</sup> March, 2017 for Financial Assurances in Indigent Circumstances @ Rs. 3500/- (Rs. Three Thousand Five Hundred Only) per month for the year 2017-18, in the light of the guidelines as detailed below:-


1. Master craftsperson who are the recipient of Shilp Guru Awards, National Awards or Merit Certificates or State Awards in Handicrafts will be eligible for being considered for financial assistance.
2. The annual income of the artisans shall be Rs. 50,000/- or less. An income certificate signed by an officer of Rank 1<sup>st</sup> class Magistrate is necessary as a proof of income.
3. The applicant should not be a recipient of similar financial assistance from any other source.
4. The artisans should not be less than 60 years of age on the date of application. Age may be relaxed in case of artisans with disabilities.
5. Details of the applicant filled application should be verified as per guideline of the scheme and his photo on the application should be attested by the concerned officer of HM&SEC/CWTSC/Regional Office, before recommending the application to this office.
6. The award certificate & Photographs should be verified and attested by the concerned Assistant Director/Regional Office of the O/o the DC (Handicrafts).
7. Required Certificate/affidavit regarding age, Income and non-receipt of any financial assistance from other sources should be issued by District Commissioner/Dy. Commissioner/District Collector/1<sup>st</sup> class Magistrate.

The interested eligible Master craftsperson may submit their application in the prescribed Performa to the concerned Handicrafts Marketing & Service Extension Centre/Regional Design and Technical Development Centres/CWTSC/Regional Office of this department **latest by 15.06.2017** to enable them to forward the same with their comments/recommendation to this office **latest by 30.06.2017**. The details of the scheme/guidelines/prescribed performs well as other requisite details may be obtained from HM&SEC/CWTSC/ RD&TDC/ Regional Offices and downloaded from office [website http://handicrafts.nic.in](http://handicrafts.nic.in)

The address and telephone number and other requisite information regarding nearby field offices may be obtained from the Regional Office of this department as detailed below:-

1. Regional Director (Central Regional), O/o the DC (Handicrafts), Kendriya Bhawan, Aliganj, Sector-H, Lucknow-226001 (U.P.). Ph. No. 0522-2324033, Fax. No. 0522-2763056
2. Regional Director (Western Region), O/o the DC (Handicrafts), 294, P. Nariman Point, Haroon House, Fort, Mumbai-400001. Ph. No. 022-22661959, Fax No. 022-22660911
3. Regional Director (Northern Region), O/o the DC (Handicrafts), West Block No. 8, R.K. Puram, New Delhi-66, Ph. No. 011-26109760, 26175784, Fax. No. 011-26168479
4. Regional Director (Southern Region), O/o the DC (Handicrafts), Shastri Bhawan, 26, Haddows Road, Chennai-600006. (Tamil Nadu). Ph. No. 044-28276321, Fax. No. 044-28270078
5. Regional Director (Eastern Region), O/o the DC (Handicrafts), CGO Complex, A-Wing, Salt Lake City, Kolkata-700064 (W.B.) Ph. No. 033-23345403, 23596744, Fax. No. 033-23345601
6. Regional Director (North Eastern Region), O/o the DC (Handicrafts), Central Block, 2<sup>nd</sup> floor, Housefed Office Complex, Beltola Bashista Road, Guwahati-781006 (Assam). Ph. No. 0361-2266123, Fax. No.- 0361-2260174

Issued By



भारतीय  
Indian handicrafts  
हस्तशिल्प  
continuing tradition  
Website : [www.handicrafts.nic.in](http://www.handicrafts.nic.in)

Development Commissioner (Handicrafts)  
Ministry of Textiles, Government of India  
West Block no. 7, R.K. Puram, New Delhi- 110066  
Telephone no. 011-26100049  
Fax no. 011-26163085  
[website http://handicrafts.nic.in](http://handicrafts.nic.in)



भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

] विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र सिद्धहस्तशिल्पियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले 60 वर्ष पूरे कर लिए हो, को दरिद्र परिस्थितियों में प्रति माह 3500/- रुपये की दर से (तीन हजार पाँच सौ रुपये केवल) वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

1. सिद्धहस्तशिल्पी जिन्हें हस्तशिल्प में शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या श्रेष्ठता प्रमाणपत्र या राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है वे वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं।
2. कारीगर की वार्षिक आय 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये केवल) या इससे कम होनी चाहिए। आय के प्रमाण के रूप में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाणपत्र आवश्यक है।
3. आवेदक किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
4. कारीगर आवेदन की तिथि पर 60 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। विकलांग कारीगरों के मामले में आयु में छूट दी जा सकती है।
5. इस कार्यालय को आवेदन की संस्तुति से पूर्व, आवेदन में भरे गए आवेदक का ब्यौरा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापित किया जाए और उसकी फोटो हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र/कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित अधिकारी से सत्यापित तथा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।
6. पुरस्कार प्रमाण-पत्र और फोटोग्राफ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संबंधित सहायक निदेशक/ क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित तथा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।
7. आयु, आय और किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त न करने संबंधी अपेक्षित दस्तावेज़/ शपथपत्र जिला आयुक्त/उपायुक्त/जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने चाहिए।

पात्र सिद्धहस्तशिल्पी निर्धारित प्रोफार्म में अपने आवेदन इस विभाग के निकटतम हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र/क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र/ कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालयों में 15-06-2017 तक अवश्य जमा करवाएं ताकि वे उक्त आवेदन को अपनी टिप्पणी/सुझावों के साथ इस कार्यालय को 30-06-2017 तक भेज सकें। स्कीम/दिशानिर्देशों/निर्धारित प्रॉफार्म के विवरण के साथ-साथ अन्य अपेक्षित विवरण हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र/कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केन्द्र/क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र/ क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं और कार्यालय की वेबसाइट <http://handicrafts.nic.in> से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

इस विभाग के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों से निकटतम फील्ड कार्यालयों के पते, टेलीफोन नम्बर और अन्य आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती हैं-

1. क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, सैक्टर एच, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश) फोन नं0 0522-2324033, फैक्स नं0 0522-2763056.
2. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, 294, पी नारीमन प्वाइंट, हारुन हाउस, फोर्ट, मुम्बई-400001, फोन नं0 022-22661959, फैक्स नं0 022-22660911.
3. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, पश्चिमी खंड 8, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली-110066, फोन नं0 - 011-26109760, 26175784, फैक्स नं0 011-26168479.
4. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, शास्त्री भवन, 26, हैडोज़ रोड, चेन्नई-600006 (तमिलनाडु), फोन नं0 044-28276321, फैक्स नं0 044-28270078.
5. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, ए विंग, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700064 (पश्चिम बंगाल), फोन नं0 033-23345403, 23596744, फैक्स नं0 033-23345601.
6. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सैन्ट्रल ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हाउसफेड ऑफिस कॉम्प्लैक्स, बेलटोला वशिष्ठ रोड, गुवाहाटी-781006 (असम), फोन नं0 0361-2266123, फैक्स नं0 0361-2260174.

जारीकर्ता -



विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

पश्चिमी खंड -7, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066

टेलीफोन नं. 011-26100049

फैक्स नं. 011-26163085

वेबसाइट <http://handicrafts.nic.in>